

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एस-206/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

श्रीमती चन्द्रप्रभा आर्य, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, आबू रोड, सिरोही का दिनांक 12.02.2018 से 27.02.2018 तक कुल 16 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक.- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एस-206/2019/170

दिनांक 12-04-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिका की सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर